

माननीय न्यायालय अशोक भान और एन. के. सोढी, जे. जे.

हरियाणा राज्य,-अपीलार्थी,

बनाम,

मेसर्स नेशनल साइंटिफिक इंडस्ट्रीज, हिसार,-- प्रतिवादी।

1986 का जी. एस. टी. आर. नंबर 1-7 फरवरी, 1996

हरियाणा सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1973-3। 17, अनुसूची 'डी', प्रविष्टि संख्या 1-केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956-धारा 2 (सी) और 14-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 286 (3)-घोषित 1 माल-कपास-सर्जिकल 1 कपास, क्या गैर-निर्मित कपास से अलग वस्तु है और धारा 14 के तहत एक घोषित वस्तु के रूप में माना जाएगा-आयोजित, सर्जिकल कपास गैर-निर्मित कपास नहीं है और इस प्रकार, धारा 14 द्वारा कवर नहीं किया जाएगा-अंतिम खरीदार होने के नाते कपास की खपत पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

माना जाता है कि गैर-निर्मित कपास के निर्माण की कुछ प्रक्रिया होती है जो इसे सर्जिकल कपास में परिवर्तित करती है जिसका उपयोग अस्पतालों, औषधालयों आदि में किया जाता है। चिकित्सा उद्देश्यों के लिए। सर्जिकल कपास को अवशोषक कपास या सूती ऊन भी कहा जाता है क्योंकि यह तुरंत तरल पदार्थ को अवशोषित करता है। सर्जिकल ड्रेसिंग में वांछित मुख्य रासायनिक गुण जड़ता और उपयोग में जलन की कमी है, जो सर्जिकल कपास द्वारा प्रदान किया जाता है यदि निर्दिष्ट मानकों के अनुसार निर्मित किया जाता है। कच्चे कपास को प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला द्वारा शुद्ध किया जाता है और सर्जिकल ड्रेसिंग में उपयोग के लिए अन्य बाहरी कार्बनिक अशुद्धियों से मुक्त और चरित्र में हाइड्रोफिलिक प्रस्तुत किया जाता है। सर्जिकल कपास, इस प्रकार, सामान्य कपास से पूरी तरह से अलग है।

(Para 18)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि सर्जिकल कपास का उपयोग उसी उपयोग के लिए नहीं किया जाता है जिस पर गैर-निर्मित कपास का उपयोग किया जाता है और इसके विपरीत, गैर-निर्मित कपास का उपयोग अस्पतालों और औषधालयों में सर्जरी में उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है या ऐसा ही कुछ उपयोग अस्वच्छ होने के कारण किया जा सकता है।

(Para 19)

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948-धारा 11-ए और 21 (1)-संशोधन-मूल्यांकनकर्ताओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान की कार्यवाही शुरू की गई-सर्जिकल कपास की बिक्री पर लगाया गया कर, इसे गैर-निर्मित कपास से अलग मानते हुए और केंद्रीय अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत कवर नहीं किया गया-पंजाब अधिनियम की धारा 11-ए के तहत प्रदान की गई सीमा की याचिका पंजाब अधिनियम की धारा 21 के तहत स्वतः संज्ञान शक्ति के प्रयोग के लिए एक बाधा नहीं हो सकती है-एक प्रविष्टि की व्याख्या पर न्यायाधिकरण का बाद का निर्णय मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकरण को आधार प्रदान करता है।

निर्धारित किया गया कि पंजाब अधिनियम की धारा 11-ए और 21 के अवलोकन से पता चलेगा कि ये दोनों धाराएं दो अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। पंजाब अधिनियम की धारा 11-ए के तहत पुनर्मूल्यांकन करने

की शक्ति निर्धारण प्राधिकरण को दी गई है और 5 वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है जिसके भीतर पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है, जबकि पंजाब अधिनियम की धारा 21 के तहत, मूल्यांकन को संशोधित करने की शक्ति आयुक्त को दी गई है, जो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, किसी भी समय किसी भी कार्यवाही का रिकॉर्ड भेज सकता है, जो या तो लंबित है या निपटाया गया है। पंजाब अधिनियम की धारा 21 के तहत कोई सीमा नहीं दी गई है। पंजाब अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत, आयुक्त को किसी भी सीमा की अवधि निर्धारित किए बिना, संशोधन की पूर्ण शक्तियां दी गई हैं। इस प्रकार, पंजाब अधिनियम की धारा 11-ए के तहत दी गई सीमा को पंजाब अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा सकता है। यह प्रश्न कि क्या पंजाब अधिनियम की धारा 21 (1) के अधीन आयुक्त का अधिकार क्षेत्र पंजाब अधिनियम की धारा 11-क के अधीन विहित सीमा अवधि के अधीन है, नारायण सिंह मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य (1963) 14 एसटीसी 610 और नेशनल रेयॉन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम अतिरिक्त सहायक आबकारी और कराधान आयुक्त, पंजाब (1964) 15 एसटीसी 746 में इस न्यायालय के दो निर्णयों द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है। इसलिए, संदर्भ का उत्तर निर्धारिती के खिलाफ और विभाग के पक्ष में दिया जाता है।

(Para 40)

श्री आर. सी. सेतिया, अतिरिक्त ए. जी., हरियाणा, अपीलार्थी के लिए

श्री डी. एस. नेहरा, प्रतिवादी के वकील श्री मुनीश भारद्वाज के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता

निर्णय

अशोक भान, जे।

- (1) यह निर्णय हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (इसके बाद हरियाणा अधिनियम के रूप में संदर्भित) और पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 (इसके बाद पंजाब अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत 1982 के जी. एस. टी. आर. संख्या 16 और 17 के तहत 1986 के जी. एस. टी. आर. संख्या 1 और 46 का निपटारा करेगा।
- (2) हरियाणा अधिनियम के अधीन, 1986 के जी. एस. टी. आर. संख्या 1 और 46 में, विभाग के अनुरोध पर, विधि का केवल एक प्रश्न इस न्यायालय को उसकी राय के लिए निर्दिष्ट किया गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:- "क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सर्जिकल कपास हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की अनुसूची डी की प्रविष्टि संख्या 1 के अर्थ के भीतर कपास से भिन्न वाणिज्यिक वस्तु है और इस प्रकार कर के लिए उत्तरदायी है?

पंजाब अधिनियम के अधीन 1982 के जी. एस. टी. आर. संख्या 16 और 17 में, निर्धारिती के कहने पर, विधि के निम्नलिखित दो प्रश्नों को उसकी राय के लिए इस न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया है:- "(i) क्या उत्पादन के बाद सर्जिकल कपास कपास का अपना मूल स्वरूप खो देता है और इसे ऐसा कहा जा सकता है कि कपास नहीं है और क्या कपास में कच्चा कपास शामिल है, जो कि प्राकृतिक रूप से कपास है या बिना पिन वाले राज्य में लगभग प्राकृतिक रूप में है? (ii) क्या न्यायाधिकरण का 1976 में दिया गया आदेश एक नई सामग्री बनाता है जो अधिनियम की धारा 11-ए के तहत सीमा की अवधि के बाद अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकरण को प्रतिबंधित करता है?

- (3) पक्षकारों के वकील इस बात पर सहमत हैं कि प्रश्न संख्या 1 पर इन सभी संदर्भों का एक साथ निपटान किया जाए क्योंकि निर्णय लिया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या सर्जिकल कपास गैर-निर्मित कपास की तुलना में व्यावसायिक रूप से अलग वस्तु है।
- (4) 1982 के जी. एस. टी. आर. संख्या 16 और 17 में प्रश्न संख्या 2 पर इसी निर्णय में अलग से विचार किया जाएगा।
- (5) हम 1986 के जी एस टी आर 1 के तथ्यों का उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि पक्षों के वकील ने इस संदर्भ याचिका से तथ्यों का उल्लेख किया है।
- (6) मेसर्स नेशनल साइंटिफिक इंडस्ट्रीज, हिसार, जिसे बाद में 'निर्धारिती' के रूप में संदर्भित किया जाता है, सर्जिकल कपास के निर्माण में लगा हुआ है। यह हरियाणा अधिनियम के साथ-साथ केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'केंद्रीय अधिनियम' के रूप में संदर्भित) दोनों के तहत पंजीकृत है। कच्चे कपास की खरीद का आकलन करता है और उसी से सर्जिकल कपास का निर्माण करता है। खरीद के अंतिम चरण में कपास पर कर लगाया जाता है। मूल्यांकनकर्ताओं ने सर्जिकल कपास पर कर का भुगतान करने के अपने दायित्व का इस आधार पर विरोध किया कि कपास केंद्रीय अधिनियम की धारा 14 के तहत घोषित वस्तुओं में से एक है और केवल एक स्तर पर कर लगाया जा सकता है। आगे यह दलील दी गई कि कच्चा कपास और सर्जिकल कपास एक ही चीज हैं और इसलिए, एक डीलर इसके द्वारा निर्मित सर्जिकल कपास पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। निर्धारिती की इस याचिका को निर्धारण प्राधिकरण ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि निर्धारिती गैर-निर्मित कपास का अंतिम खरीदार था जिसे वह सर्जिकल कपास में निर्माण के माध्यम से संसाधित करता है जिससे कपास की खपत होती है। चूंकि, कपास खरीद के अंतिम चरण में कर के लिए उत्तरदायी है, इसलिए निर्धारिती कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था क्योंकि उसने कपास का उपभोग किया था; कि गैर-निर्मित कपास (चाहे वह जालीदार हो या बिना जालीदार) और सर्जिकल कपास दो व्यावसायिक रूप से अलग-अलग वस्तुएं हैं और उनके अलग-अलग उपयोग हैं। गैर-निर्मित कपास और सर्जिकल कपास एक जैसे नहीं होते हैं और इसलिए, मूल्यांकनकर्ता सर्जिकल कपास पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था जो एक घोषित वस्तु नहीं थी।
- (7) निर्धारण प्राधिकरण के निर्णय से व्यथित करदाताओं ने उप आबकारी और कराधान आयुक्त (अपील) रोहतक सर्कल के समक्ष अपील दायर की। उप आबकारी और कराधान आयुक्त ने आकलन प्राधिकरण के आदेश को बरकरार रखा और यह कहते हुए अपील को खारिज कर दिया कि सर्जिकल कपास सामान्य कपास से पूरी तरह से अलग है क्योंकि सामान्य कपास कुछ रसायनों के साथ विनिर्माण प्रक्रिया के अधीन है जिससे सर्जिकल कपास का उत्पादन किया जाता है जिसका उपयोग अस्पतालों में किया जाता है और रोगियों के इलाज के लिए नियोजित विभिन्न दवाओं के महत्व के बराबर है
- (8) इसके पश्चात्, कर निर्धारणकर्ताओं ने विक्रय कर अधिकरण, हरियाणा के समक्ष दूसरी अपील दायर की (जिसे इसके पश्चात् 'अधिकरण' कहा गया है)। ट्रिब्यूनल ने नीचे दिए गए अधिकारियों के आदेशों को उलट दिया और कहा कि सर्जिकल कपास एक कपास है जिसे केवल सफाई और पैकिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था, लेकिन यह कपास ही बना रहता है और साफ और पैक किए जाने के बाद भी इसे सर्जिकल कपास कहा जाता है, फिर भी इसका उपयोग उन सभी उद्देश्यों के लिए कपास के रूप में किया जा सकता है जिनके लिए कपास का उपयोग किया जाता है; कि सर्जिकल कपास कपास की एक किस्म है और कपास का निर्मित उत्पाद नहीं है क्योंकि इसने कपास के अपने मूल चरित्र को बिल्कुल भी नहीं बदला है और सभी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए कपास का उपयोग किया जाता है।
- (9) विभाग ने अधिकरण के आदेश के विरुद्ध व्यथित होकर हरियाणा अधिनियम की धारा 42 (1) के अधीन विधि के उपर्युक्त प्रश्न को अपनी राय के लिए इस न्यायालय को भेजने के लिए आवेदन किया। न्यायाधिकरण ने विभाग द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया और कानून के उपरोक्त प्रश्न को इस न्यायालय की राय के लिए भेज दिया।
- (10) पक्षों के लिए संबंधित वकील द्वारा उठाए गए तर्कों पर ध्यान देने से पहले, कानून के प्रावधानों का उल्लेख करना उपयोगी होगा।

- (11) केंद्रीय अधिनियम की धारा 2 (सी) में 'घोषित वस्तुओं' को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है "अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में धारा 14 के तहत विशेष महत्व की घोषित वस्तुएं"। केंद्रीय अधिनियम की धारा 14 में 'घोषित वस्तुओं' की सूची है। इस धारा का समर्थन भारत के संविधान के अनुच्छेद 286 (3) से मिलता है। उक्त अनुच्छेद संसद को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में कुछ वस्तुओं को विशेष महत्व का घोषित करने के लिए अधिकृत करता है और उन्हें लेवी की प्रणाली, दरों और कर की अन्य घटनाओं के संबंध में ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन करता है जो वह उचित समझती है। 'घोषित वस्तुओं' पर राज्य का कानून भी ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन होगा। केंद्रीय अधिनियम की धारा 15 के तहत 'घोषित वस्तुओं' पर कर नहीं लगाया जा सकता है। एक से अधिक स्तर पर लगाया जाता है और कर की दर 4% से अधिक नहीं हो सकती है।
- (12) केंद्रीय अधिनियम की धारा 14 का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: - (i) 14. अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की कुछ वस्तुएँ - एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में निम्नलिखित वस्तुओं का विशेष महत्व है: - XX XX
- (ii) कपास, अर्थात्, सभी प्रकार की कपास (स्वदेशी या आयातित) अपनी गैर-निर्मित स्थिति में, चाहे वह जालीदार हो या बिना जालीदार, बेल्ट, दबा हुआ या अन्यथा, लेकिन कपास अपशिष्ट को शामिल नहीं करता है; XX XX
- (13) हरियाणा अधिनियम की धारा 2 (घ) में यह परिभाषित किया गया है कि 'घोषित माल' का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) में उस अभिव्यक्ति को सौंपा गया है।
- (14) हरियाणा अधिनियम की धारा 17 में निम्नलिखित प्रावधान हैं: -17 घोषित वस्तुओं पर कर। - घोषित वस्तुओं पर कर, यथास्थिति, बिक्री या खरीद के स्तर पर और अनुसूचित घ में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में, देय और देय होगा।
- बशर्ते कि जहां माल अनुसूचित डी में विनिर्दिष्ट बिक्री या खरीद के किसी भी चरण में कर के अधीन नहीं किया गया है, वहां कर इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी एक व्यापारी द्वारा उसके द्वारा ऐसी वस्तुओं की अंतिम खरीद के चरण में लगाया और भुगतान किया जाएगा।
- बशर्ते कि इस धारा के तहत कर इस अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य कटौती प्रदान करने के बाद लगाया, प्रभारित और भुगतान किया जाएगा।
- (15) निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या सर्जिकल कपास (अवशोषक कपास के रूप में जाना जाता है) अपने गैर-निर्मित चरण में कपास है और इसलिए, केंद्रीय अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में एक घोषित वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए।
- (16) केंद्रीय अधिनियम की धारा 14 में यह प्रावधान है कि गैर-निर्मित कपास, चाहे वह स्वदेशी हो या आयातित, जालीदार या बिना जालीदार, बेल्ट या दबा हुआ या अन्यथा लेकिन कपास के कचरे को शामिल नहीं करते हुए 'घोषित अच्छा' होगा। इसलिए 'अनमैनुफैक्चर्ड' शब्द के अर्थ और दायरे के बारे में सवाल उठेगा। इसलिए, यह निर्धारित करने से पहले कि 'अनमैनुफैक्चर्ड' शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है, 'मैनुफैक्चरिंग' शब्द का अर्थ निर्धारित करना आवश्यक है।
- (17) विभाग की ओर से पेश वकील ने विकास आयुक्त, लघु उद्योग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रासायनिक, खाद्य कांच और चीनी मिट्टी के उद्योगों के लिए तैयार परियोजना प्रोफाइल का उल्लेख किया ताकि यह दिखाया जा सके कि सर्जिकल कपास के निर्माण के लिए उत्पादन की कौन सी प्रक्रिया होती है। कच्चे कपास को गाँठ के रूप में खोलने के बाद, उसे ढीला कर दिया जाता है और धूल और अन्य कणों को हटा दिया जाता है। फिर कपास को एक कीयर में भेजा जाता है जहां इसे कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, डिटरजेंट आदि जैसे रसायनों को जोड़ने के बाद लगभग 3-4 घंटे तक भाप में उबला जाता है। यह उपचार अधिकांश प्राकृतिक मोम और तेलों को हटा देता है और किसी भी बाहरी पदार्थ को नरम और विघटित कर

देता है जो सफाई ऑपरेशन के बाद रह सकता है। कपास को उबालने के बाद, इसे कीयर से हटा दिया जाता है और धोने के लिए टैंकों में ले जाया जाता है। धोया हुआ कपास हालांकि अवशोषक होता है लेकिन अच्छे रंग का नहीं होता है। इसलिए, इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसे रसायनों से प्रक्षालित किया जाता है। ब्लीचिंग न केवल कपास को सफ़ेद करती है बल्कि इसके गीले गुणों में भी सुधार करती है और किसी भी पुनर्निर्मित विदेशी सामग्री के विघटन में सहायता करती है। ब्लीच की गई कपास को फिर से अच्छी तरह से धोया जाता है ताकि केमिकल आईकल्स को हटाया जा सके क्षार की अधिकता को बेअसर करने के लिए थोड़ी मात्रा में पतला सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाया जाता है। फिर कपास को पानी निकालने के लिए हाइड्रोएक्सट्रैक्टर के माध्यम से पारित किया जाता है। इसके बाद इसे एक गीली सूती खोलने वाली मशीन में भेजा जाता है। इस तरह से खोली गई कपास को फिर ड्रायर के माध्यम से पारित किया जाता है। कपास के सूखने के बाद, इसे फिर से ब्लोरूम में भेजा जाता है जहाँ इसे अच्छी तरह से खोला जाता है और गोद में बनाया जाता है। फिर गोदों को कार्डिंग मशीन में डाला जाता है जहाँ कपास पतली परतों में आती है। लैप्स के नीचे कागज डाला जाता है और कपास को घुमाया जाता है और साथ ही संपीड़ित किया जाता है। फिर रोल को तौला जाता है और आवश्यक आकार के अनुसार काटा जाता है। कट रोल को फिर लेबलिंग और वजन का निशान लगाने के बाद एक पॉलिथीन रोल में पैक किया जाता है और फिर अंतिम पैकिंग के लिए भेजा जाता है। इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वस्तु को सर्जिकल कॉटन के रूप में जाना जाता है और यह ड्रग्स एक्ट के तहत आता है और इसे केवल विनिर्देश के अनुसार ही बनाया जा सकता है।

- (18) उपर्युक्त गणना की गई प्रक्रिया से, यह स्पष्ट है कि गैर-निर्मित कपास के निर्माण की कुछ प्रक्रिया होती है जो इसे सर्जिकल कपास में परिवर्तित करती है जिसका उपयोग अस्पतालों, औषधालयों आदि में किया जाता है। चिकित्सा उद्देश्यों के लिए। सर्जिकल कपास को अवशोषक कपास या सूती ऊन भी कहा जाता है क्योंकि यह तुरंत तरल पदार्थ को अवशोषित करता है। सर्जिकल ड्रेसिंग में वांछित मुख्य रासायनिक गुण जड़ता और उपयोग में जलन की कमी है, जो सर्जिकल कपास द्वारा प्रदान किया जाता है यदि निर्दिष्ट मानकों के अनुसार निर्मित किया जाता है। कच्चे कपास को प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला द्वारा शुद्ध किया जाता है और सर्जिकल ड्रेसिंग में उपयोग के लिए अन्य बाहरी कार्बनिक अशुद्धियों से मुक्त और चरित्र में हाइड्रोफिलिक प्रस्तुत किया जाता है। सर्जिकल कपास, इस प्रकार, सामान्य कपास से पूरी तरह से अलग है।
- (19) निर्माण प्रक्रिया से गुजरने के बाद, गैर-निर्मित कपास को परिवर्तित किया जाता है और एक नई और अलग वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है जिसमें एक विस्तृत चरित्र या उपयोग होता है। सर्जिकल कपास का उपयोग मुख्य रूप से अस्पतालों और औषधालयों में उपचारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका व्यापक रूप से सैनिटरी पैड या नैपकिन और फिल्टर बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। गैर-निर्मित कपास को एसेप्टिक, शल्य चिकित्सा द्वारा जीवाणुरहित और शल्य चिकित्सा उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। सर्जिकल कपास का उपयोग उसी उपयोग के लिए नहीं किया जाता है जिस पर निर्मित कपास का उपयोग किया जाता है और इसके विपरीत, गैर-निर्मित कपास का उपयोग अस्पतालों और औषधालयों में शल्य चिकित्सा में उपयोग के लिए या कुछ इसी तरह के उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अस्वच्छ है।
- (20) मूल्यांकनकर्ताओं के वकील के विवाद में कोई बल नहीं है कि सर्जिकल कपास कपास है जो केवल सफाई और पैकिंग की प्रक्रिया से गुजरा है और इसे साफ और पैक करने के बाद कपास कहा जा सकता है और उन सभी उद्देश्यों के लिए कपास के रूप में उपयोग किया जा सकता है जिनके लिए कपास का उपयोग किया जाता है।
- (21) कई निश्चित मामलों में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'विनिर्माण' का तात्पर्य शारीरिक श्रम या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा एक विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग वाली एक अलग वस्तु का निर्माण करना है, जो मूल घटक से व्यावसायिक रूप से अलग है।
- (22) पंजाब राज्य और अन्य बनाम चंद्र लाई किशोरी लाई, पंजाब राज्य और अन्य बनाम कृष्ण कपास, दाल और तेल कारखाने में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जिनिंग प्रक्रिया एक विनिर्माण प्रक्रिया है और जिन्ड

- कपास गैर-जिन्ड कपास से अलग है। इस मामले में, गैर-निर्मित कपास, जिन या गैर-जिन, दोनों को केंद्रीय अधिनियम की धारा 14 के अनुसार माल घोषित किया जाता है।
- (23) बाबू राम जगदीश कुमार एंड कंपनी बनाम पंजाब राज्य और अन्य (और एक अन्य मामले) में सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चावल और धान दो अलग-अलग चीजें हैं और जब धान को अलग किया जाता है और चावल का उत्पादन किया जाता है, तो माल की पहचान में परिवर्तन होता है। हालाँकि चावल का उत्पादन धान से होता है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि कटाई के बाद भी धान का उत्पादन जारी रहा।
- (24) 'निर्माण' शब्द की व्याख्या एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स द्वारा की गई है, 'निर्माण' का अर्थ होगा 'एक नए पदार्थ को अस्तित्व में लाना' इसका अर्थ केवल 'किसी पदार्थ में कुछ परिवर्तन पैदा करना' नहीं होगा। जहाँ निर्माण की प्रक्रिया द्वारा वस्तु की प्रकृति या चरित्र में कुछ परिवर्तन होता है जिसके परिणामस्वरूप एक अलग वाणिज्यिक वस्तु अस्तित्व में आती है, जो बेची या आपूर्ति की जा सकती है, तो यह कहा जा सकता है कि विनिर्माण प्रक्रिया हुई है जिससे एक वस्तु को कुछ और में बदल दिया गया है।
- (25) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, जयपुर बनाम राजस्थान राज्य रासायनिक कार्य, डीडवाना, राजस्थान, (4) और कई अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप द्वारा इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है।
- (26) वर्तमान मामले में, कुछ विनिर्माण प्रक्रिया से गुजरते हुए गैर-निर्मित कपास को सर्जिकल कपास में बदल दिया जाता है जो एक व्यावसायिक रूप से अलग उत्पाद है जिसका पूरी तरह से अलग उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, जब गैर-निर्मित कपास एक विनिर्माण प्रक्रिया से गुजरता है, तो एक पूरी तरह से नया उत्पाद अस्तित्व में आता है जिसे वाणिज्यिक बाजार में एक अलग नाम से जाना जाता है और इस तरह से बेचा जा सकता है। इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता है कि उत्पादन प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी सर्जिकल कपास कपास ही बना रहता है। दूसरे शब्दों में, सर्जिकल कपास गैर-निर्मित कपास नहीं है, और इस प्रकार, केंद्रीय अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत नहीं आएगा। निर्धारिती अंतिम खरीदार होने के नाते और गैर-निर्मित कपास का सेवन करने के बाद, इस प्रकार, कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (27) हम बिक्री कर आयुक्त में रिपोर्ट किए गए बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले से लिए गए दृष्टिकोण के लिए समर्थन प्राप्त करते हैं, महाराष्ट्र राज्य, बॉम्बे बनाम फेयर डील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (5) जहाँ उनके लॉर्डशिप, जबकि एक समान खंड की व्याख्या करते हुए, यह माना गया कि सर्जिकल कपास और कपास दो अलग-अलग और अलग-अलग वस्तुएं हैं और उनका अलग-अलग उपयोग किया जाता है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था: -
जींड कपास की सफाई, उबलाना, ब्लीचिंग, सुखाना और कार्डिंग द्वारा तैयार की गई और सर्जिकल कपास के रूप में बेची जाने वाली अवशोषित सूती ऊन 1954 के अधिनियम 10 द्वारा संशोधित बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 195 के अनुसूचित बी के आइटम 1 के अर्थ के भीतर "कच्ची कपास (चाहे जींड या गैर-जींड)" नहीं है, और इसलिए यह अनुसूची बी के आइटम 80 द्वारा कवर अवशिष्ट प्रविष्टि के तहत कर के लिए उत्तरदायी है।
- (28) अनुसूची बी की वस्तु में केवल शामिल होगा-कच्चा कपास, यानी अपने प्राकृतिक या लगभग प्राकृतिक रूप में कपास, और कपास नहीं जिसे विभिन्न प्रक्रियाओं के अधीन होने के बाद विशिष्ट विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित किया गया है।
- (29) इसी तरह का दृष्टिकोण मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा श्री राम उत्पाद बनाम तमिलनाडु राज्य में लिया गया है
- (30) अब हम निर्धारिती के वकील द्वारा हमारे समक्ष उद्धृत विभिन्न निर्णयों से निपटते हैं, जो हमारे विचार में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक या लागू नहीं हैं।
- (31) निर्धारिती के वकील ने तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुरनूल बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कुरनूल (7) पर रिलायंस रखा था, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स ने यह अभिनिर्धारित किया था कि

हाइड्रोजनीकृत मूंगफली का तेल, शोधन की प्रक्रिया के बाद, नियम के अर्थ के भीतर मूंगफली का तेल बना रहता है। उनके प्रभुओं द्वारा दी गई व्याख्या मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1939 के संदर्भ में थी, जिसमें प्रविष्टि 'मूंगफली का तेल' थी न कि 'कच्चा मूंगफली का तेल'। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हाइड्रोजनीकृत तेल मूंगफली के तेल के शोधन की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया गया था और वही मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम में प्रासंगिक प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए मूंगफली का तेल बना रहता है।

(32) बिक्री कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश बनाम लखनऊ, हरबिलास राय एंड संस मामले में उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भरोसा करते हुए, निर्धारिती के वकील (8) ने तर्क दिया कि 'विनिर्माण' शब्द का बिक्री कर विधान के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अर्थ हैं और यदि वह वस्तु जिसमें कुछ श्रम लगाया जाता है, अनिवार्य रूप से एक ही वाणिज्यिक वस्तु बनी रहती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अंतिम उत्पाद विनिर्माण का परिणाम है। उपरोक्त मामले में, उनके लॉर्डशिप्स ने तथ्यों पर निष्कर्ष निकाला कि 'कंजर', सूअरों से सुअर के ब्रिस्टल लेने के बाद, उन्हें उबालकर साबुन और अन्य रसायनों से धोते हैं, उन्हें उनके आकार और रंगों के अनुसार अलग करते हैं और उन्हें बिक्री के लिए विदेशी देशों में भेजते हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विदेशों में की गई बिक्री कर योग्य नहीं थी क्योंकि उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 2 (एच) के स्पष्टीकरण (ii) के अंतर्गत ब्रिस्टल विनिर्मित वस्तुएं नहीं थीं। उक्त मामले के तथ्यों पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं हुई थी और कोई नई वस्तुएं निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थीं और जिन वस्तुओं का उन्होंने उत्पादन किया था, उन्हें ब्रिस्टल के रूप में जाना जाता है, दोनों उस रूप में जिसमें ये 'कंजर' से खरीदे गए थे और जिस रूप में ये लंदन में बेचे गए थे।

(33) ऊपर बताए गए कारणों से, हरियाणा अधिनियम के तहत 1986 के जी. एस. टी. आर. संख्या 1 और 46 में प्रश्न संख्या 1 का उत्तर विभाग के पक्ष में और निर्धारिती के खिलाफ दिया गया है। पंजाब अधिनियम के तहत 1982 के जी. एस. टी. आर. संख्या 16 और 17 में, अधिकरण ने निर्धारिती के खिलाफ निर्णय लिया था, और इसलिए, संदर्भ निर्धारिती के इशारे पर हैं। इन दो संदर्भों में प्रश्न संख्या 1 का उत्तर निर्धारिती के विरुद्ध और विभाग के पक्ष में भी दिया गया है। यह माना जाता है कि सर्जिकल कपास अपनी गैर-निर्मित स्थिति में कच्चे कपास के समान नहीं है क्योंकि सर्जिकल कपास, निर्माण प्रक्रिया से गुजरने के बाद, कपास के अपने मूल चरित्र को खो देता है और इसे जिन या गैर-जिन अवस्था में गैर-निर्मित नहीं कहा जा सकता है।

(34) अब, हम 1982 के जी एस टी आर संख्या 16 और 17 में प्रश्न संख्या 2 लेते हैं।

(35) प्रश्न से संबंधित प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि मूल्यांकन प्राधिकरण ने सर्जिकल कपास को गैर-निर्मित कपास माना था और इसे घोषित वस्तु मानते हुए कर लगाया था। बिक्री कर अधिकरण, पंजाब ने 1975-76 (राज्य बनाम किरण सर्जिकल बिक्री निगम, लुधियाना) (निर्धारिती से संबंधित नहीं) की 91 नंबर की एक अन्य अपील में 20 अप्रैल, 1976 को निर्णय लिया कि सर्जिकल कपास का उत्पादन विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इस प्रकार इसे इसके गैर-विनिर्मित राज्य में कपास नहीं कहा जा सकता है, जो अकेले केंद्रीय अधिनियम की धारा 14 (ii) के अंतर्गत आता है। न्यायाधिकरण के उपरोक्त निर्णय के बाद, बिक्री कर आयुक्त ने अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत अपनी स्वतः शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्धारिती के मामले में पहले से तैयार किए गए मूल्यांकन को संशोधित करने के लिए कार्यवाही शुरू की। पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष निर्धारिती द्वारा यह कहा गया था कि पंजाब के तत्कालीन वित्तीय आयुक्त (कराधान) श्री बी. एस. ग्रेवाल द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर सामान्य कपास के मामले में लागू कर की दर पर सर्जिकल कपास पर कर लगाया जाता था। निर्धारिती का आगे तर्क था कि अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत स्वतः कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है क्योंकि मामला उस धारा के तहत नहीं आता है और यदि कोई चूक मूल्यांकन या मूल्यांकन के तहत था, तो पंजाब अधिनियम की धारा 11-ए में निहित प्रावधानों का सहारा लिया जा सकता है; कि पंजाब अधिनियम की धारा 11-ए के तहत प्रदान की गई सीमा लागू होगी और पुनरीक्षण प्राधिकरण बिना किसी सीमा की अवधि के किसी भी समय पंजाब अधिनियम की धारा 21 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। पुनरीक्षण प्राधिकरण निर्धारिती द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क से

सहमत नहीं था और सर्जिकल कपास की बिक्री पर कर लगाता था, इसे गैर-निर्मित कपास से अलग माना जाता था और केंद्रीय अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत घोषित वस्तु के रूप में शामिल नहीं किया जाता था। पुनरीक्षण प्राधिकरण के आदेश से व्यथित होने के कारण निर्धारिती ने अधिकरण के समक्ष पंजाब अधिनियम की धारा 21 (3) के तहत एक और पुनरीक्षण याचिका दायर की। ट्रिब्यूनल ने इसे खारिज कर दिया और पुनरीक्षण प्राधिकरण के आदेश को बनाए रखा। निर्धारिती ने व्यथित होने के कारण, फैसले के पहले भाग में निर्दिष्ट कानून के दो प्रश्नों पर संदर्भ देने के लिए एक याचिका दायर की। हरियाणा अधिनियम के तहत प्रश्न संख्या 1 को 1986 के जी. एस. टी. आर. संख्या 1 और 46 के साथ निपटाया गया है।

(36) अब हम तथ्यों के इस पृष्ठभूमि में प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ते हैं।

(37) महाराजा कुमार कमल सिंह बनाम आयुक्त या आयकर, बिहार और उड़ीसा पर भरोसा करने वाले निर्धारिती की ओर से पेश हुए वकील, जिसे हरि चंद रतन चंद एंड कंपनी बनाम उप आबकारी और कराधान आयुक्त (अतिरिक्त) पंजाब मामले में इस अदालत की पूर्ण पीठ के फैसले के साथ पढ़ा गया, ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय एक निश्चित जानकारी के बराबर होगा और जानकारी पर अधिकारी केवल पंजाब अधिनियम की धारा 11-ए के तहत कार्य कर सकते हैं, इसलिए, पंजाब अधिनियम की धारा 11-ए के तहत प्रदान की गई 5 साल की सीमा लागू होगी।

(38) एशियाई रबड़ और प्लास्टिक उद्योग बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य मामले में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले और लूथरा रबड़ उद्योग बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ के फैसले द्वारा निर्धारिती के खिलाफ इस प्रश्न को पूरी तरह से कवर किया गया है।

(39) लूथरा रबड़ इंडस्ट्रीज के मामले (उपर्युक्त) में एशियाई रबड़ एरीड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के मामले (उपर्युक्त) में विद्वान एकल न्यायाधीश के तर्क को मंजूरी देने के बाद और 1 \$एरी चंद रतन चंद के मामले (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले को नोटिस करने के बाद उनके लॉर्डशिप ने निर्धारिती के वकील द्वारा उठाए गए इसी तरह के विवाद को खारिज कर दिया और कहा कि न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के फैसले को पंजाब अधिनियम की धारा 11-ए के तहत परिकल्पित जानकारी नहीं कहा जा सकता है या माना नहीं जा सकता है, जो समीक्षा प्राधिकरण के संज्ञान में आया होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिकरण या उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई तथ्यात्मक सामग्री उपलब्ध नहीं होगी, जो निर्धारण प्राधिकरण की फाइल में नहीं थी। अधिकारियों के सामने कोई नया तथ्य नहीं रखा जाता है। यह केवल वास्तविक कानूनी स्थिति को पुनरीक्षण प्राधिकरण के ध्यान में लाता है। अधिनियम की धारा 21 (1) के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा परिस्थितियों के अनुसार स्वप्रेरणा से प्रयोग की गई शक्तियां न्यायोचित होंगी और यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि इस शक्ति का प्रयोग केवल पंजाब अधिनियम की धारा 11-क के अधीन ही किया जा सकता है जो 5 वर्ष की अवधि के भीतर अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को सूचना के रूप में लेता है।

(40) पंजाब अधिनियम की धारा 21 (1) के अधीन, निर्धारण प्राधिकरण किसी आदेश की वैधता और औचित्य की जांच करने के लिए किसी भी समय कार्य कर सकता है और पंजाब अधिनियम की धारा 11-क के अधीन प्रदत्त परिसीमा पहले से बनाए गए निर्धारण को संशोधित करने के लिए लागू नहीं होगी। पंजाब अधिनियम की धारा 11-ए और 21 के अवलोकन से पता चलेगा कि ये दोनों धाराएं दो अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। पंजाब अधिनियम की धारा 11-ए के तहत पुनर्मूल्यांकन की शक्ति निर्धारण प्राधिकरण को दी गई है और 5 साल की सीमा तय की गई है। जबकि पंजाब अधिनियम की धारा 21 के अधीन, निर्धारण को संशोधित करने की शक्ति आयुक्त को दी गई है, जो अपने प्रस्ताव पर, किसी भी समय किसी भी कार्यवाही के अभिलेख के लिए भेज सकता है, जो या तो लंबित है या ऐसे कार्यवाहियों की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उसके अधीनस्थ अधिकारियों में से किसी द्वारा निपटाया गया है। पंजाब अधिनियम की धारा 21 के तहत कोई सीमा नहीं दी गई है। पंजाब अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत, आयुक्त को किसी भी सीमा की अवधि निर्धारित किए बिना, संशोधन

की पूर्ण शक्तियां दी गई हैं। इस प्रकार, पंजाब अधिनियम की धारा 11-ए के तहत दी गई सीमा को पंजाब अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा सकता है। यह सवाल कि क्या पंजाब अधिनियम की धारा-21 (1) के तहत आयुक्त का अधिकार क्षेत्र पंजाब अधिनियम की धारा 11-ए के तहत निर्धारित सीमा की अवधि के अधीन है, नारायण सिंह मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और दूसरा, (15) और नेशनल रेयॉन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम अतिरिक्त सहायक आबकारी और कराधान आयुक्त, पंजाब में इस अदालत के दो फैसलों द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है।

(16). रेयॉन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले (उपर्युक्त) में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था: - "यह स्पष्ट है कि यदि विधानमंडल धारा 21 के अधीन आयुक्त की शक्ति को किसी निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या किसी निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कार्यवाहियों के निपटारे के पश्चात् भी तीन वर्ष की अवधि तक सीमित करने का इरादा रखता है, तो वह धारा 21 में ऐसा कह सकता था और परिस्थितियों में लगभग निश्चित रूप से कह सकता था, क्योंकि विधानमंडल इस बात से अवगत था कि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पुनर्मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए धारा 11-क में परिसीमा अवधि निर्धारित की गई थी। निष्कर्ष, मेरी राय में, यह होना चाहिए कि विधानमंडल का इरादा किसी भी सीमा के नियम द्वारा धारा 21 के तहत आयुक्त की शक्ति को बाधित करने का नहीं था और इसलिए, किसी भी समय अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए इसे आयुक्त के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया। श्री भागीरथ दास का कहना है कि यह असंभव है कि इस तरह की असीमित शक्ति समय पर आयुक्त को सौंपी जा सकती थी, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी असंभव नहीं लगता है, और यह तर्क कि आयुक्त बीस या तीस साल पहले तय किए गए मामले को फिर से खोलने का निर्णय ले सकता है, कहीं भी नहीं जाता है। धारा 21 में उल्लिखित पुनरीक्षण की शक्ति पूर्वी पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 21-ए के तहत एक निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पुनर्मूल्यांकन की शक्ति से पूरी तरह से अलग और असंबद्ध है। इसलिए, मेरी राय में, लर्नड सिंगल जज का यह मानना सही था कि अतिरिक्त सहायक आबकारी और कराधान आयुक्त को वर्तमान मामलों में आकलन प्राधिकरण द्वारा दिए गए पिछले आदेशों को संशोधित करने का अधिकार था।

(41) नारायण सिंह मोहिंदर सिंह के मामले (उपरोक्त) और नेशनल रेयॉन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में डिवीजन बेंच द्वारा अपनाए गए तर्क को परी चंद रतन चंद के मामले में इस अदालत की पूर्ण पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(42) एशियाई रबड़ और प्लास्टिक उद्योग मामले (उपर्युक्त) और लूथरा रबड़ उद्योग मामले (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर निर्धारिती के विरुद्ध और विभाग के पक्ष में दिया जाता है।

मामले में कोई लागत नहीं दी जाएगी

आर एन आर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अवीषेक गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हिसार, हरियाणा